वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग, पन्ना लाल पार्क, वाराणसी-221002
फ़ोन: 0542-2280326 ईमेल: vdavaranasi@gmail.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण के रामनगर आवासीय योजना के अन्तर्गत रिक्त आवासीय सम्पत्तियों को प्रथम आगत प्रथम स्वागत के माध्यम प्राप्त करने का सुअवसर:-

उपलब्ध सम्पत्तियों का विवरण

क्रमाक	योजना का नाम	सम्पत्ति संख्या	फ्लोर	सम्पत्ति का प्रकार	सुपर बिल्डप एरिया	आरक्षित न्यूनतम मूल्य (रु0 में)	पंजीकरण धनराशि 10 प्रतिशत(रू0 में
1	रामनगर	F-8	प्रथम तल	आवास	25.46 (E.W.S.)	593100.00	59310.00
2	रामनगर	G-5	प्रथम तल	आवास	25.46 (E.W.S.)	593100.00	59310.00
3	रामनगर	G-6	प्रथम तल	आवास	25.46 (E.W.S.)	593100.00	59310.00
4	रामनगर	G-8	प्रथम तल	आवास	25.46 (E.W.S.)	593100.00	59310.00
5	रामनगर	H-5	प्रथम तल	आवास	25.46 (E.W.S.)	593100.00	59310.00
6	रामनगर	H-6	प्रथम तल	आवास	25.46 (E.W.S.)	593100.00	59310.00
7	रामनगर	A-7	प्रथम तल	आवास	25.46 (E.W.S.)	593100.00	59310.00
8	रामनगर	A-8	प्रथम तल	आवास	25.46 (E.W.S.)	593100.00	59310.00
9	रामनगर	B-6	प्रथम तल	आवास	25.46 (E.W.S.)	593100.00	59310.00
10	रामनगर	B-7	प्रथम तल	आवास	25.46 (E.W.S.)	593100.00	59310.00
11	रामनगर	C-7	प्रथम तल	आवास	25.46 (E.W.S.)	593100.00	59310.00
12	रामनगर	D-6	प्रथम तल	आवास	25.46 (E.W.S.)	593100.00	59310.00

आवंटन की शर्तें:-

1- रामनगर आवासीय योजना के अन्तर्गत दुर्बल आयवर्ग के तीन मंजिले भवन आवंटन हेतु भवनों का आवंटन प्रथम आगत प्रथम स्वागत पर किया जायेगा।

2- सम्पत्तियाँ ''जहॉ हैं, जैसे हैं'' की स्थिति में नीलाम की जायेगी। किसी प्रकार के विधिक विवाद की स्थिति में मा0 न्यायालय का निर्णय आवंटी को मान्य होगा। आवेदक द्वारा आवेदन करने से पूर्व विज्ञापित सम्पत्तियों के विषय में पूर्ण जानकारी प्राधिकरण कार्यालय से किसी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है। नीलामी के पश्चात किसी भी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।

3- आवंटन के 30 दिन के अन्दर पंजीकरण धनराशि के अतिरिक्त भवन के मूल्य की 25 प्रतिशत धनराशि जमा करनी होगी तथा अवशेष धनराशि 2 वर्ष में त्रैमासिक किस्तों में 15.50 प्रतिशत ब्याज सहित देय होगी। समय से धनराशि जमा न किये जाने पर आवंटन स्वतः निरस्त हो जायेगा तथा सम्पूर्ण पंजीकरण धनराशि जब्त करते हुए उक्त के अतिरिक्त जमा शेष धनराशि में से 25 प्रतिशत की कटौती कर ली जायेगी।

4- लीज की संपत्तियों के मूल्य के अतिरिक्त, सम्पत्ति में भूमि मूल्य का 10 प्रतिशत प्री-पेड लीज रेन्ट देय होगा।

5- आवंटन एवं सम्पत्तियों के सम्बन्ध मे किसी भी विवाद की स्थिति में उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी का आदेश अन्तिम होगा।

6- आवंटन को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार करने का अधिकार उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी में निहित होगा।

7- सभी आवेदक प्राधिकरण के वेवसाईट लिंक **https://eauction.vdavns.com/home** पर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। प्राधिकरण के सम्पत्ति अनुभाग के मो0 न0 9616536355, 9580956031 से भी विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग, पन्ना लाल पार्क, वाराणसी-221002
फ़ोन: 0542-2280326 ईमेल: vdavaranasi@gmail.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण के लैण्ड मार्क टावर द्वितीय व तृतीय चरण आवासीय योजना के अन्तर्गत रिक्त आवासीय सम्पत्तियों को प्रथम आगत प्रथम स्वागत के माध्यम प्राप्त करने का सुअवसर:-

उपलब्ध सम्पत्तियों का विवरण

क्रमाक	योजना का नाम	सम्पत्ति संख्या	फ्लोर	सम्पत्ति का प्रकार	सुपर बिल्डप एरिया	आरक्षित न्यूनतम मूल्य (रु0 में)	पंजीकरण धनराशि 10 प्रतिशत(रू0 में)
1	लैंड मार्क टावर फेस 2	F 4/3	चतुर्थ तल	आवास	159.18(3 बेड रूम)	7747000.00	774700.00
2	लैंड मार्क टावर फेस 2	F 6/3	छठा तल	आवास	159.18(3 बेड रूम)	7747000.00	774700.00
3	लैंड मार्क टावर फेस 2	F 7/1	सातवां तल	आवास	159.18(3 बेड रूम)	7747000.00	774700.00
4	लैंड मार्क टावर फेस 2	F 7/3	सातवां तल	आवास	159.18(3 बेड रूम)	7747000.00	774700.00
5	लैंड मार्क टावर फेस 3	A 9/4	नौवां तल	आवास	164.00(3 बेड रूम)	9727000.00	972700.00
6	लैंड मार्क टावर फेस 3	B 9/4	नौवां तल	आवास	164.00(3 बेड रूम)	9727000.00	972700.00
7	लैंड मार्क टावर फेस 3	B 9/5	नौवां तल	आवास	134.00(2 बेड रूम)	7939000.00	793900.00

आवंटन की शर्तें:-

1- सम्पतियाँ ''जहॉ हैं, जैसे हैं'' की स्थिति में नीलाम की जायेगी। किसी प्रकार के विधिक विवाद की स्थिति में मा0 न्यायालय का निर्णय आवंटी को मान्य होगा। आवेदक द्वारा आवेदन करने से पूर्व विज्ञापित सम्पत्तियों के विषय में पूर्ण जानकारी प्राधिकरण कार्यालय से किसी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है। नीलामी के पश्चात किसी भी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।

2- आवंटन के 30 दिन के अन्दर पंजीकरण धनराशि के अतिरिक्त भवन के मूल्य की 25 प्रतिशत धनराशि जमा करनी होगी तथा अवशेष धनराशि 2 वर्ष में त्रैमासिक किस्तों में 15 प्रतिशत ब्याज सहित देय होगी। समय से धनराशि जमा न किये जाने पर आवंटन स्वतः निरस्त हो जायेगा तथा सम्पूर्ण पंजीकरण धनराशि जब्त करते हुए उक्त के अतिरिक्त जमा शेष धनराशि में से 25 प्रतिशत की कटौती कर ली जायेगी।

3- लीज की संपत्तियों के मूल्य के अतिरिक्त, सम्पत्ति में भूमि मूल्य का 10 प्रतिशत प्री-पेड लीज रेन्ट देय होगा।

4- आवंटन एवं सम्पतियों के सम्बन्ध मे किसी भी विवाद की स्थिति में उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी का आदेश अन्तिम होगा।

5- आवंटन को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार करने का अधिकार उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी में निहित होगा।

6- सभी आवेदक प्राधिकरण के वेवसाईट लिंक **https://eauction.vdavns.com/home** पर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। प्राधिकरण के सम्पत्ति अनुभाग के मो0 न0 9616536355, 9580956031 से भी विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

प्रभारी अधिकारी
(सम्पत्ति)